कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकःस्था0 / 2021 / ५०१८ दिनांकः २१-१०-२०२१

आदेश

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 28.07.2021 के द्वारा पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जयपुर के क्षेत्र में आरक्षी केन्द्र **दौलतपुरा** का नवसृजन किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेन्स, 1950 की धारा 7 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि उक्त नवसृजित आरक्षी केन्द्र दौलतपुरा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण (धन सम्बन्धी अधिकारिता के अध्यधीन रहते हुए) निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 02 में अंकित न्यायालयों में कॉलम संख्या 03 के अनुसार सीधे ही प्रस्तुत किये जायेंगेः–

क्रम सं0	न्यायालय का नाम	नाम पुलिस थाना / क्षेत्र जिसका स्थानीय क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है
1	2	3
1.	न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–10, जयपुर महानगर (चौमूं)	1. आरक्षी केन्द्र दौलतपुरा की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण 2. चौमूं मुख्यालय पर स्थित जयपुर महानगर–द्वितीय की अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय / आदेशों के विरूद्ध दीवानी प्रकरणों से संबंधित अपीलें, निगरानी व मुत0 प्रकरण आदि
2.	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम–10, जयपुर महानगर–द्वितीय (चौमूं)	आरक्षी केन्द्र दौलतपुरा की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
3.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम–17, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरक्षी केन्द्र दौलतपुरा की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण

नोटः– यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांकःस्था0 / 2021 / ५०१९ दिनांकः २१-१०-२०२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम / जयपुर जिला, जयपुर
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
5. अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर / चौमूं / आमेर
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
8. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय